

बिरसा मुंडा का आंदोलन

डॉ. माया बी. मसराम

शरदराव पवार कला व वाणिज्य महाविद्यालय
गडचांदूर ता.कोरपना जि. चंद्रपूर (महाराष्ट्र)

mayagondane1972@gmail.com

Mo. No. 7744999935

सारांश

जब लोग आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले बिरसा मुंडा का नाम मन में आता है। उनके संघर्ष का फल आदिवासियों के लिए एक विशेष कानून का निर्माण था। उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि उनकी मृत्यु के बाद स्वतंत्रता की लौ और भी प्रज्वलित हो गई। आज, उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का आंदोलन, जिसे "उलगुलान" या "मुंडा बांध" के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। यह आंदोलन 1899-1900 में झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति को एकजुट किया और पारंपरिक भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। बिरसा मुंडा का आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में झारखंड और उसके आसपास के आदिवासी इलाकों में एक प्रमुख जन आंदोलन था। यह आंदोलन मुख्य रूप से आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए था। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के तहत ईसाई धर्म अपनाने, जमींदारी प्रथा, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध आदिवासियों को संगठित किया। उन्होंने "उलगुलान" (महान विद्रोह) का नेतृत्व किया और आदिवासियों को अपने धर्म, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि आदिवासी अपनी खोई हुई ज़मीन और पहचान वापस पा सकते हैं।

मुख्य शब्द:- उलगुलान, संघर्ष, ज़मीन, अधिकार, सांस्कृतिक पहचान, उत्पीड़न, शोषण, अधिकारों की सुरक्षा

परिचय

बिरसा मुंडा (1875-1900) एक आदिवासी नेता, धार्मिक उपदेशक और लोक नायक थे। वे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के नेता थे। वे मुंडा जनजाति से थे। 15 नवंबर 1875 को छोटानागपुर (वर्तमान झारखंड) के आदिवासी क्षेत्र में जन्मे बिरसा मुंडा (हिंदी में बिरसा मुंडा) मुंडा जनजाति में पैदा हुए थे। वे इस अन्याय और शोषण के प्रत्यक्षदर्शी रहे। ब्रिटिश प्रशासन और स्थानीय जमींदारों या 'ठेकेदारों' के दौरान जनजातियों को इसका सामना करना पड़ा। बिरसा अपने क्षेत्र के वैष्णव और ईसाई मिशनरियों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जर्मन मिशनरी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। लेकिन जल्द ही उन्होंने ईसाई धर्म त्याग दिया। उन्होंने पारंपरिक जीववादी आस्था को पुनर्जीवित किया, जिसका उद्देश्य अपने समुदाय का उत्थान करना था। विभिन्न धर्मों के साथ

उनके प्रारंभिक जीवन के अनुभवों ने उन्हें बाद के आध्यात्मिक और राजनीतिक आंदोलनों के लिए तैयार किया।

बिरसा मुंडा आंदोलन की पृष्ठभूमि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से जुड़ी थी: 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, झारखंड क्षेत्र के आदिवासी समुदाय कई समस्याओं का सामना कर रहे थे:

1. सामाजिक पृष्ठभूमि: आदिवासी समाज पर बाहरी लोगों (दिकू) का बढ़ता प्रभाव। पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाजों, संस्कृति और जीवन शैली के लिए खतरा। मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रसार और जबरन धर्मांतरण।
2. आर्थिक पृष्ठभूमि: ब्रिटिश भूमि नीति के कारण पारंपरिक 'खुंटकट्टी' (आदिवासी भूमि अधिकार) प्रथा का अंत। जमींदारों, साहूकारों और महाजनों द्वारा भूमि हड़पना और उच्च कर वसूली। जबरन बेगार (मुफ्त मजदूरी) और आदिवासियों की बढ़ती गरीबी।
3. राजनीतिक पृष्ठभूमि: ब्रिटिश शासन के कानून आदिवासियों के हितों के विरुद्ध थे। आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी। प्रशासनिक शोषण और न्याय का अभाव।
4. धार्मिक पृष्ठभूमि: आदिवासियों के पारंपरिक देवी-देवताओं की उपेक्षा। बिरसा मुंडा ने एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू किया - "बिरसीते धर्म", जिसमें उन्होंने खुद को भगवान का अवतार घोषित किया। उन्होंने पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित किया और धर्मांतरण का विरोध किया।
5. जमींदारी प्रथा: अंग्रेजों ने पारंपरिक 'खुंटकट्टी' (आदिवासी भूमि व्यवस्था) को तोड़ दिया और बाहरी जमींदारों को सत्ता दे दी। इसके कारण आदिवासी किसानों की जमीनें छीनी जा रही थीं।
6. ईसाई मिशनरियों का प्रचार: मिशनरी आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण कर रहे थे।
7. शोषण और उत्पीड़न: दिकू (बाहरी लोग - साहूकार, व्यापारी, जमींदार) आदिवासियों का आर्थिक और सामाजिक शोषण कर रहे थे।

अध्ययन के उद्देश्य

1. बिरसा मुंडा के जीवन और कार्य के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देना
2. मुंडा विद्रोह के कारणों पर जानकारी एकत्र करना
3. बिरसा मुंडा के जीवन और योगदान को रचनात्मक रूप से व्यक्त करना

"उलगुलान" आंदोलन क्यों शुरू हुआ?

उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने 1889-1900 में किया था। इसका अर्थ है महान विद्रोह। इसकी शुरुआत सिंहभूम के शंकरा गाँव से हुई थी। यह विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था। बिरसा ने मुंडा आदिवासियों को जल और जंगल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने उलगुलान नामक आंदोलन चलाया। यह ब्रिटिश शासन और मिशनरियों के विरुद्ध था।

इसके मुख्य केंद्र खूंटी, तमाड़, सरवादा और बंदगाँव थे। जब जमींदारों और पुलिस का अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, तब भगवान बिरसा ने यह आंदोलन शुरू करने का विचार किया। इसके पीछे उनका उद्देश्य एक आदर्श भूमि व्यवस्था लागू करना था। यह तभी संभव था जब अंग्रेज अधिकारी और मिशनरी पूरी तरह से चले जाएँ। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कर-माफी के लिए आंदोलन शुरू किया। जिससे जमींदारों के घर से लेकर ज़मीन तक का काम बंद हो गया।

मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा का विद्रोह है। झारखंड के आदिवासी बिरसा मुंडा को अपना मसीहा मानते हैं। बिरसा ने 1893-94 से ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उन्होंने वन विभाग को गांव में बंजर जमीन अधिग्रहण करने से रोकने के अभियान में हिस्सा लिया। लोग बिरसा के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। 1895 में बिरसा को दो साल की कैद हुई। लेकिन ब्रिटिश महारानी की हीरक जयंती के अवसर पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद बिरसा ने पूरी ताकत से आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने बिरसा और उनकी सेना पर हमला कर दिया। 9 जनवरी 1900 को झारखंड की डोम्बारी पहाड़ियों पर बिरसा की सेना और अंग्रेजों के बीच झड़प हुई। बिरसा मुंडा को पकड़कर कैद कर लिया गया जहां 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। कारण: आदिवासी जीवनशैली, सामाजिक संरचना और संस्कृति में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण था। भूमि संबंधी मामलों में हस्तक्षेप इस विद्रोह का दूसरा प्रमुख कारण था आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर भी प्रतिक्रियाएँ हुईं। लेकिन आदिवासियों को सबसे ज्यादा गुस्सा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ आदिवासी इलाकों में जमींदारों, साहूकारों और ठेकेदारों के एक नए शोषक समूह के उभरने से आया। आदिवासी इन्हें "दिकू" कहते थे। आरक्षित वनों के निर्माण और लकड़ी व चरागाह सुविधाओं पर प्रतिबंधों ने आदिवासी जीवनशैली को प्रभावित किया क्योंकि आदिवासियों की आजीविका मुख्यतः वनों पर निर्भर थी। 1867 में झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नए वन कानून बनाए गए। इन सभी कारकों ने मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। हालाँकि सरकार ने मुंडा विद्रोह को दबा दिया, लेकिन मुंडा विद्रोह के प्रभाव के कारण ही 1908 में छोटा नागपुर लीज़ एक्ट (CNT - छोटा नागपुर रैयत या लीज़ एक्ट) पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत, आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण रोक दिया गया।

आंदोलन के कारण:

जमींदारों और साहूकारों द्वारा शोषण: ब्रिटिश शासन के दौरान, मुंडा लोग जमींदारों और साहूकारों द्वारा बड़े पैमाने पर शोषण के शिकार थे। भूमि अधिकार: अंग्रेजों ने मुंडा लोगों के पारंपरिक भूमि अधिकार छीन लिए थे, जिससे उनकी आजीविका कठिन हो गई थी। सांस्कृतिक पहचान को खतरा: ब्रिटिश नीतियों के कारण मुंडा संस्कृति और जीवन शैली खतरे में पड़ गई थी।

1. भूमि अधिग्रहण (भूमि संबंधी कारण):

ब्रिटिश शासन और जमींदारों ने आदिवासियों की पारंपरिक भूमि हड़प ली थी। आदिवासियों को "खुंटकटी" प्रथा के माध्यम से अपनी भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त था। अंग्रेजों ने इसे समाप्त कर दिया और भूमि साहूकारों, जमींदारों और महाजनों जैसे "दिकू" (बाहरी लोगों) को दे दी।

2. शोषण और उत्पीड़न: जमींदारों और साहूकारों द्वारा अत्यधिक कर वसूली, बेगारी और बंधुआ मजदूरी। वन अधिकारों का उल्लंघन - आदिवासियों को जंगल से लकड़ी, फल, पशु आदि लेने से रोका गया।

3. धार्मिक शोषण: ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों का धर्मांतरण। उनकी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं, पूजा पद्धति और संस्कृति पर प्रहार किया गया।

4. ब्रिटिश शासन की नीति: "पैतृक अधिकारों" की उपेक्षा। पुलिस, कानून, अदालतें - सभी व्यवस्थाएँ दिकूओं के पक्ष में थीं। आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता था।

5. सांस्कृतिक संकट: बिरसा मुंडा ने देखा कि आदिवासी अपनी पहचान, परंपराएँ, भाषा और जीवन शैली खो रहे थे। वे दिकू संस्कृति में घुल-मिल रहे थे।

6. बिरसा मुंडा का नेतृत्व और विचारधारा: बिरसा ने स्वयं को "धरती आबा" (पृथ्वी का पिता) घोषित किया। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया और सामाजिक-सांस्कृतिक जागरूकता फैलाई। उनका मिशन था - "अंग्रेजों को हटाओ, दिकूओं को भगाओ और मुंडा राज स्थापित करो।"

बिरसा मुंडा के आंदोलन के उद्देश्य

एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना: बिरसा मुंडा का लक्ष्य दिकू (बाहरी लोगों) और अंग्रेजों को उनके क्षेत्र से खदेड़कर एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना था। पारंपरिक भूमि अधिकारों की बहाली: आदिवासियों के भूमि अधिकारों की बहाली और उनकी पारंपरिक जीवन शैली की पुनर्स्थापना। सामंती शोषण का अंत: जमींदारी प्रथा और अन्य प्रकार के शोषण का अंत।

1. ब्रिटिश शासन का विरोध - बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे अन्याय, शोषण और अत्याचार का विरोध करना था।

2. जल, जंगल, जमीन की रक्षा - आदिवासी समुदाय की पारंपरिक भूमि पर सरकार और जमींदारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। बिरसा मुंडा का आंदोलन आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए था।

3. दिकूओं (बाहरी लोगों) का निष्कासन - बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को साहूकारों, महाजनों, जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों जैसे बाहरी लोगों (दिकूओं) के उत्पीड़न से मुक्त कराने का संकल्प लिया।

4. नए धार्मिक और सामाजिक सुधार - बिरसा मुंडा ने "बिरसाइत" नामक एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू किया। इसके तहत उन्होंने आदिवासियों को शराब छोड़ने, अंधविश्वासों से दूर रहने और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।

5. आदिवासी एकता और जागरूकता - बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को एकजुट किया और उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता जगाई।

6. स्वराज्य का विचार - उन्होंने ब्रिटिश शासन के बजाय आदिवासी स्वराज्य की कल्पना की, जहाँ उनका अपना राज्य होगा -

आंदोलन का महत्व:

आदिवासी प्रतिरोध का प्रतीक: मुंडा विद्रोह भारतीय आदिवासी प्रतिरोध के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। सामाजिक सुधार: बिरसा मुंडा ने सामाजिक सुधारों के लिए भी काम किया, लोगों को शराब छोड़ने और अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। छोटानागपुर लीज एक्ट: 1908 में, सरकार ने छोटानागपुर लीज एक्ट पारित किया, जिसने आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी, जो मुंडा विद्रोह का परिणाम था।

1. आदिवासी चेतना का उदय: आदिवासी समुदाय में आत्म-सम्मान और अधिकारों की भावना पैदा हुई।
2. ब्रिटिश सरकार पर दबाव: सरकार को भूमि संबंधी कानूनों में बदलाव करना पड़ा।
3. सांस्कृतिक जागरूकता: बिरसा ने आदिवासी संस्कृति और धर्म को पुनर्जीवित किया।
4. स्वतंत्रता संग्राम में योगदान: यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

निष्कर्ष

बिरसा मुंडा का जीवन और विरासत आम आदमी और वंचितों के प्रतिरोध का एक उदाहरण है। वे भारत की सामाजिक-राजनीतिक संरचना में प्रतिरोध के महत्व को भी दर्शाते हैं। भारत के औपनिवेशिक इतिहास, आदिवासी आंदोलनों, भूमि कानूनों और स्थानीय धार्मिक प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में उनकी भूमिका बहुमूल्य है। बिरसा मुंडा का जीवन समावेशी विकास और आदिवासी कल्याण के महत्व को भी दर्शाता है, जो भारत के विकास के अभिन्न अंग हैं। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सुधारक के रूप में अपनी भूमिका पर केंद्रित हैं, जिन्होंने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों और शोषण के विरुद्ध जागरूक किया। इससे उनमें आत्मसम्मान और संगठन का संचार हुआ। बिरसा के आंदोलन ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि आदिवासी समुदाय अब अन्याय और शोषण को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। छोटा नागपुर लीज अधिनियम, 1908 पारित किया गया - एक ऐसा अधिनियम जिसका उद्देश्य गैर-आदिवासियों से आदिवासियों की भूमि वापस लेकर उनकी रक्षा करना था। बिरसा ने ईसाई मिशनरियों और पुरानी प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने आदिवासी धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्हें धरती के देवता के रूप में पूजा जाने लगा और आज भी आदिवासी समुदाय में उन्हें ईश्वर के समान माना जाता है। बिरसा मुंडा का आंदोलन भविष्य के कई आदिवासी आंदोलनों के लिए प्रेरणा बना।

संदर्भ ग्रंथ

1. पांडेय, सुष्मिता. (2021). झारखण्ड के अमर क्रांतिकारी : बिरसा मुंडा एवं सिधु-कान्हू. नई दिल्ली: डायमंड पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड
2. Singh, K. S. (1983). Birsa Munda and His Movement, 1872–1901: A Study of a Millenarian Movement in Chhotanagpur. New Delhi: Oxford University Press.
3. पाठक, शेखर. (2003). बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.
4. मोरवाल, भगवानदास. (2010). बिरसा मुंडा - एक जीवित इतिहास. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
5. राधाकृष्ण. (2012). धरती आबा बिरसा मुंडा. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया.
6. साई, रमेश. (2005). धरती आबा. नई दिल्ली: साहित्य अकादमी.
7. Sarkar, T. (Ed.). (2009). Birsa Munda: The Making of a Hero. Ranikhet: Permanent Black.